संख्या- २१/२०१८/853/52-3-2018-सा(44)/2017

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0,
लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 10 जुलाई, 2018

विषयः- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों लोकवाणी केन्द्रो/जन सुविधा केन्द्रो/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पत्रांक सं0-1507/78-2-2015-53 आई0टी0/2008, दिनांक 23.09.2015 द्वारा विभिन्न विभागो की शासकीय सेवाओं में इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया है, जिससे प्रदेश में आम जन को शासकीय सेवाओं को त्वरित गति एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जा सके। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित सेवाओ को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया जाता है, ताकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सेवाओं को जन सेवा केन्द्रो/लोकवाणी केन्द्रो/जन सुविधा केन्द्रो/ई-सुविधा केन्द्रो के माध्यम से सुगमतापूर्वक आम जनमानस को उपलब्ध कराया जा सके।

2- वर्तमान में जन. सेवा केन्द्रो/लोकवाणी केन्द्रो/जन सुविधा केन्द्रो/ई-सुविधा केन्द्रो पर शासनादेश सं0-11/2016/11/78-2-2016-34 आई0टी0/2010 दिनंाक 04 फरवरी 2016 द्वारा आम नागरिको से प्रत्येक शासकीय सेवाओं के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज लिये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिनमें जन सामान्य को प्रत्येक शासकीय सेवा के लिए निम्नानुसार यूजर चार्ज लिया जायेगा:-

क्रं0 सं0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश रू0				कुल चार्ज रू0
		डीएसपी/केन्द्र संचालक	विभाग	डीईजीएस/ लोकवाणी सोसाइटी	सी ई जी	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pre Matric scholarship	6	-	7	2	15
2	Post Matric scholarship	6	-	7	2	15

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की चयनित संेवाओ को ई-डिस्ट्रिक्टि पोर्टल से इन्टीग्रेड करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रो/लोकवाणी केन्द्रो/जन सुविधा केन्द्रो/ ई-सुविधा केन्द्रो से प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए उपरोक्त के अनुसार चार्ज किया जायेगा। यदि कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नही होगें एवं नागरिक अपने क्रेडिट/डेबिट/नेट बैंकिग से सेवा हेतु निर्धारित फीस का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र आपरेटर सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर भी उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नही होगंे।

4- आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्रारम्भ करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र, तथा ई-सुविधा केन्द्र से जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध किये जाने के पश्चात् केन्द्र आपरेटर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लाॅग-इन करेगा तथा विभागीय पोर्टल पर उनकी सेवाओ से सम्बन्धित ई-फार्म एवं आवश्यक संलग्नको को अपलोड करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक्स प्रणाली के माध्यम से आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागीय सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

5- बिन्दु सं0-4 की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण विभागीय शासनादेश एवं नियमों के अनुसार पूरा किया जायेगा।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- ८५३(1)/52-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रिनिक्स विभाग।
3- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई गर्वनेन्स, उ0प्र0 लखनऊ।
4- एस0आई0ओ0एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
5- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उ0प्र0।

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in